न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 2020	14.07.2020	29.01.2021

उनवान

1. बृजलाल पुत्र श्री रामकरण जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र रिछपाल
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री खूबराम
3. पवनसिंह पुत्र श्री हुक्मसिंह जातिान अहीर निवासीयान मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

: निर्णय :–

दिनांक :– **29.01.2021**

उपस्थिति :–

1– श्री अशोक चौधरी, वकील प्रार्थी

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 942 रकबा 0.25 है0, 943 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो आराजी मिन प्रार्थी व मिन प्रार्थी के [illegible] की आराजी रही है, तथा इसके लगती हुई आराजी अप्रार्थीगण है।
2. यह है कि प्रार्थी व मिन प्रार्थी के [illegible] व अन्य आराजी का बहामी बंटवारा किया हुआ [illegible] बहामी बंट[illegible] उक्त आराजी मिन प्रार्थी के हिस्से आयी हुयी है, जिस पर मिन प्रार्थी काबिज काश्त है।
3. यह है कि अप्रार्थीगण मूठ मर्द व मदमश प्रवृति के व्यक्ति[illegible], जो मिन प्रार्थी की आराजी के साथ लगती हुयी आराजी का बेजा फायदा उठाकर हर बार एक दो– एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

दो हलाई काटकर अपनी आराजी में मिला लेते है तथा मना करने पर आमादा लडाई झगडा हो जाते है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 0.77 है0 व खसरा नम्बर 942 रकबा 0.25 है0, 943 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर की पत्थरगढी दिना 03.07.2019 के अनुसार व आराजी की पुनः पैमाईस कराकर, पैमाईस अनुसार मिन प्रार्थी के खर्चा पर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में मौका पर्चा दिनांक 03.07.2019, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पूनः पैमाईश कर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि एक माह में विवादित आराजी की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में पुनः पैमाईश कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/1/21

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramsingh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:39 IST
Reason: SelfAttested